**प्रेस विज्ञप्ति**
**20/05/2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 19/05/2026 को चेन्नई में मेसर्स थंगम स्टील लिमिटेड [टीएसएल], मेसर्स पीएस कृष्णमूर्ति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड [पीएसके] और इसके निदेशकों और प्रमुख सह-आरोपियों के 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने सीबीआई, ईओबी, चेन्नई द्वारा आईपीसी, 1860 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, मेसर्स थंगम स्टील लिमिटेड और मेसर्स पीएस कृष्णमूर्ति स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया [एसबीआई] से 311 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। सीबीआई ने उक्त एफआईआर में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि टीएसएल और पीएसके इस्पात निर्माण और व्यापार के कारोबार में थीं। उक्त संस्थाओं ने अपने निदेशकों के माध्यम से रिकॉर्ड में हेराफेरी, धन का गबन और कारोबार व लाभ को बढ़ाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी की, ताकि भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम बैंकों को जानबूझकर धोखा दिया जा सके। जांच से पता चला कि 2007 और 2013 के बीच, आरोपियों ने जाली वित्तीय विवरण, बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए स्टॉक और प्राप्य विवरण, और मनगढ़ंत व्यापार दस्तावेज प्रस्तुत करके बेईमानी से नकद ऋण और लेटर ऑफ क्रेडिट की सीमा में वृद्धि हासिल की। निदेशकों ने फर्जी गोदाम और फर्जी परिवहन रिकॉर्ड दिखाए। उन्होंने वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए एसबीआई और आरओसी के समक्ष अलग-अलग बैलेंस शीट भी प्रस्तुत कीं। बैंक की धनराशि को फर्जी/शेल संस्थाओं के खातों के माध्यम से एक स्टील डिवीजन के अधिग्रहण और अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए डायवर्ट किया गया। धनराशि को कई स्तरों पर ट्रांसफर किया गया ताकि फंड के स्रोत की पहचान छिपी रहे। आरोप है कि इस समग्र षड्यंत्र के कारण एसबीआई को लगभग 311 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ और आरोपियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप बेनामीदारों/परिवार के सदस्यों/दूर के रिश्तेदारों के नाम पर धारित विभिन्न चल और अचल संपत्तियां बरामद हुईं। संपत्तियों को इस तरह से रखा गया था ताकि बैंक ऋण राशि की वसूली के लिए ऐसी संपत्तियों का पता न लगा सके। तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए और बेनामी नामों से दर्ज 43 अचल संपत्तियों की पहचान की गई (जिनका मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक है)।

आगे की जांच जारी है।